TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (1).

No.F.1(9)-E.III(A)/70
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
....

New Delhi, the 12th February, 1971

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:-

1. These rules may be called the Fundamental (Sixth Amendment) Rules, 1970.

2. They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

In the Fundamental Rules, for clause (24) of Rule 9, the following clause shall be substituted, namely:-

'Presumptive pay of a post, when used with reference to any particular Government servant, means the pay to which he would be entitled if he held the post substantively and were performing its duties; but it does not include special pay unless the Government servant performs or discharges the work or responsibility, in consideration of which the special pay was sanctioned'.

(KIRPA SINGH)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Publisher,
Gazette of India, New Delhi.

It is requested that 30 copies of the Notification may be supplied to this Department.

No.F.1(9)-E.III(A)/70

Copy to all Ministries/Departments of the Government of India., etc. etc.

(KIRPA SINGH)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ

सं० फा० 1(9) इ-III(ए)/ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1971.

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा, भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात् मौलिक नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम मौलिक (षष्ठ संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

मौलिक नियमों में, नियम 9 के खण्ड (24) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

पद के उपधारणात्मक वेतन - से जब कि वह किसी विशिष्ट सरकारी सेवक के निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, वह वेतन अभिप्रेत है जिसका कि वह तब हकदार होता जब कि वह उस पद को अधिष्ठायी रूप से धारण किए हुए होता और उसके कर्तव्यों का पालन करता हुआ होता, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष वेतन तब के सिवाय नहीं आता जब कि वह सरकारी सेवक उस काम का पालन या उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है जिस पर विचार करके वह विशेष वेतन मंजूर किया गया था।

कृपा सिंह

उप सचिव, भारत सरकार.

प्रकाशक,
भारत का राजपत्र, नई दिल्ली.

(व)